न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/1/2014

उनवान

1. मकराम पिता हाथी गुर्जर निवासी जोरा का खेडा मजरा धनोप तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
2. रघुनाथ पिता हाथी गुर्जर निवासी जोरा का खेडा मजरा धनोप
3. देबी पिता हाथी गुर्जर निवासी जोरा का खेडा मजरा धनोप तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा, हाल तहसीलदार फुलिया कलां, जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के प्रकरण संख्या 24/2005 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2013

अधिवक्तागण :–

1. श्री बी एल गुर्जर , अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 27.6.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम धनोप में वादीगण के खाते की कृषि भूमि आराजी नम्बर 3049/1339/1 रकबा 11 बीघा स्थित थी । जिसके पैमाईश के बाद आराजी नम्बर 3049 रकबा 0.50 है0, आराजी नम्बर 3050 रकबा 0.

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

31 है0, आराजी नम्बर 3051 रकबा 0.28 है0, आराजी नम्बर 3054 रकबा 0.10 है0, आराजी नम्बर 3055 रकबा 0.08 है0, आराजी नम्बर 3064 रकबा 0.43 है0 बने । उक्त आराजियात वादीगण के खाते में दर्ज हो गई। जब कि इसी रकबे से बनी आराजी नम्बर 3003 रकबा 1.51 है0 में से 0.33 है0, आराजी नम्बर 3064/3824 रकबा 0.35 है0, आराजी नम्बर 3004/3812 रकबा 0.06 है0, आराजी नम्बर 3057/3814 रकबा 0.30 है0, कुल किता 4 रकबा 1.04 है रकबा वादीगण के खाते में आने से रह गई। इस प्रकार वादीगण के खाते में कुल रकबा 2.74 है0 होना चाहिये था जिसके बजाय 1.70 है0 जमीन ही दर्ज की गई। 1.04 है0 भूमि पैमाईश के बाद वादीगण के खाते में भूमि कम हो गई। जिसके लिए पूर्व में न्यायालय श्रीमान् में वादीगण की ओर से वाद पत्र प्रस्तुत किया गया था किन्तु उसमें फोरमल डिफेक्ट रह गई थी इसलिए न्यायालय श्रीमान् से स्वीकृति प्राप्त करके वाद पत्र को विड्रो किया गया और अब यह वाद पत्र पुनः पेश किया जा रहा है। अतः वादीगण के खाते की बिलानाम दर्ज हुई कृषि भूमि आराजी नम्बर 3003 रकबा 1.51 है0 में से 0.33 है0, आराजी नम्बर 3064/3824 रकबा 0.35 है0, आराजी नम्बर 3004/3812 रकबा 0.06 है0, आराजी नम्बर 3057/3814 रकबा 0.30 है0, कुल किता 4 रकबा 1.04 है वादीगण के खाते में दर्ज करके कुल 2.74 है0 भूमि वादीगण के खाते में दर्ज की जाकर उसी अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रेकार्ड नक्शे में तरमीम की जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद पत्र अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से खारिज किया जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

3. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अधिनस्थ न्यायालय ने अवलोकन नहीं कर कयासी आधार पर निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण ने दस्तावेज बतौर साक्ष्य पेश किये थे जिन्हें सही तौर पर नहीं पढा गया मामले में तनकियात कायम की जिसमें दोनों तनकियात को अपीलार्थीगण/वादीगण ने मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कराई है जिन्हें नहीं मानकर अपीलार्थीगण के विरूद्ध तनकियात निर्णित कर वाद पत्र खारिज किया है जो विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त योग्य है।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात जो कि ग्राम धनोप की साबिक आराजी नम्बर 1339/1 रकबा 49 बीघा 3 बिस्वा में से 11 बीघा भूमि तत्कालीन खातेदार शत्रुघ्न जयदेव जी पिता सरदार सिंह जी राजपूत निवासी शाहपुरा हाल लखमीपुर से क्रय की थी। क्रय करने के बाद 11 बीघा भूमि जरिये इंतकाल नम्बर 166 दिनांक 8.7.63 को अपीलार्थीगण के पिता हाथी पिता जाला गुर्जर के नाम दर्ज रिकार्ड हुई। इसमें तरमीम नम्बर 3049/1339/1 कायम किये गये। जिसे तरमीम कर अपीलार्थीगण के पिता के नाम पर दर्ज रेकार्ड कर 11 बीघा दर्ज कर कायम की गई।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि मामले में उक्त साबिक तरमीम नम्बर 3049/1339/1 रकबा 11 बीघा जो कि अपीलार्थीगण के पिता के नाम दर्ज थी के हाल सेटलमेण्ट की कार्यवाही होने से नये नम्बर 3049 रकबा 0.50 है0, आराजी नम्बर 3050 रकबा 0.31 है0, आराजी नम्बर 3051 रकबा 0.28 है0, आराजी नम्बर 3054 रकबा 0.10 है0, आराजी नम्बर 3055 रकबा 0.08 है0, आराजी नम्बर 3064 रकबा 0.43 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.70 है0 दर्ज की गई। जबकि साबिक रकबा 11 बीघा का 2.74 है0 दर्ज रेकार्ड होना चाहिये था जो दर्ज नहीं की गई। इस प्रकार 1.04 है0 जमीन कम दर्ज की गई। इस साबिक रकबे के नये नम्बर उक्त नम्बरों के अलावा बने आराजी नम्बर 3003 रकबा 1.51 है0 में से 0.33 है0, आराजी नम्बर 3064/3824 रकबा 0.35 है0, आराजी नम्बर 3004/3812 रकबा 0.06 है0, आराजी नम्बर 3057/3814 रकबा 0.30 है0, कुल किता 4 रकबा 1.04 है रकबा वादीगण के खाते में आने से रह गई। इस प्रकार वादीगण के खाते में कुल रकबा 2.74 है0 होना चाहिये था। इस बाबत अपीलार्थीगण ने नया व पुराना रेकार्ड जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल, नक्शा ट्रेश पेश किये तथा मौखिक साक्ष्य के लिए वादीगण व पडौसियों के बयान कराये जिससे अपीलार्थीगण की साबिक आराजी नम्बर 3049/1339/1 रकबा 11 बीघा में से उक्त हाल नम्बर बनना साबित कराया लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के अपीलार्थीगण का दावा खारिज कर दिया । जो गलत है।

न्यायालय भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ भीलवाड़ा (राज.) ★

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण का वादग्रस्त आराजियात पर खरीद की तारीख से आज तक कब्जा चला आ रहा है। अपीलार्थीगण वादग्रस्त आराजियात पर खाते की होने से काबिज है जो वर्तमान में बिलानाम दर्ज होने से अपीलार्थीगण/वादीगण के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जा रही है जो गलत है। वादग्रस्त आराजियात पर बतौर मालिक अपीलार्थीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। मामले में वादीगण/अपीलार्थीगण ने इस दावे से पूर्व इस आराजियात बाबत दावा पेश किया था जो नया दावा पेश करने की इजाजत के साथ पुराने दावे को विड्रो कर नया दावा पेश किया था जिसे यह मानते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था कि पूर्व में दावा पेश करने से नया दावा चलने योग्य नहीं है । अपीलार्थीगण ने वादग्रस्त आराजियात स्वयं की होने बाबत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश किये थे। उसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर वाद पत्र को खारिज कर दिया गया जो विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त फरमाई जाकर प्रकरण को अधिनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड की जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय व डिक्री पारित किये जाने हेतु आदेशित किया जावे।

8. प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थीगण/वादीगण अपने वाद को साबित नहीं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

करा सके है। अधिनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

9. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । नामान्तरकरण पंजिका ग्राम धनोप तहसील शाहपुरा की सही प्रतिलिपि का अवलोकन किया जिसके अनुसार अपीलार्थीगण के पिता हाथी गुर्जर ने वादग्रस्त आराजियात जो कि ग्राम धनोप की साबिक आराजी नम्बर 1339/1 रकबा 49 बीघा 3 बिस्वा में से 11 बीघा भूमि तत्कालीन खातेदार शत्रुघ्न जयदेव जी पिता सरदार सिंह जी राजपूत निवासी शाहपुरा हाल लखमीपुर से क्रय की थी। क्रय करने के बाद 11 बीघा भूमि जरिये इंतकाल नम्बर 166 दिनांक 8.7.63 को अपीलार्थीगण के पिता हाथी पिता जाला गुर्जर के नाम दर्ज रिकार्ड हुई । इसमें तरमीम नम्बर 3049/1339/1 कायम किये गये । जिसे तरमीम कर अपीलार्थीगण के पिता के नाम पर दर्ज रेकार्ड कर 11 बीघा दर्ज कर कायम की गई।

10. अपीलार्थीगण का कथन है कि साबिक तरमीम नम्बर 3049/1339/1 रकबा 11 बीघा जो कि अपीलार्थीगण के पिता के नाम दर्ज थी के हाल सेटलमेण्ट की कार्यवाही होने से नये नम्बर 3049 रकबा 0.50 है0, आराजी नम्बर 3050 रकबा 0.31 है0, आराजी नम्बर 3051 रकबा 0.28 है0, आराजी नम्बर 3054 रकबा 0.10 है0, आराजी नम्बर 3055 रकबा 0.08 है0, आराजी नम्बर 3064 रकबा 0.43 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.70 है0 दर्ज की गई। जबकि साबिक रकबा 11 बीघा का 2.74 है0 दर्ज रेकार्ड होना चाहिये था

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

जो दर्ज नहीं की गई। इस प्रकार 1.04 है0 जमीन कम दर्ज की गई। इस साबिक रकबे के नये नम्बर उक्त नम्बरों के अलावा बने आराजी नम्बर 3003 रकबा 1.51 है0 में से 0.33 है0, आराजी नम्बर 3064/3824 रकबा 0.35 है0, आराजी नम्बर 3004/3812 रकबा 0.06 है0, आराजी नम्बर 3057/3814 रकबा 0.30 है0, कुल किता 4 रकबा 1.04 है रकबा वादीगण के खाते में आने से रह गई। इस प्रकार वादीगण के खाते में कुल रकबा 2.74 है0 होना चाहिये था।

11. अधिनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाब दावा के आधार पर तनकियात कायम की । जिसमें से तनकी नम्बर 1 " आया वाद के चरण संख्या 1 के अनुसार वादीगणों के खाते की बिलानाम भूमि आराजी नम्बर 3003 में से 0.33 है0, आराजी नम्बर 3064/3824 रकबा 0.35 है, आराजी नम्बर 3004/3812 रकबा 0.06 है0, आराजी नम्बर 3057/3814 रकबा 0.30 है0 कुल रकबा 1.04 है दर्ज करके कुल 2.74 है0 के वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है। " इस तनकी को साबित कराने का भारी वादीगण पर था। अपीलार्थीगण/वादीगण ने अधिनस्थ न्यायालय में मौखिक साक्ष्य के रूप में वादी मकराम व रामा चमार के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये व दिनांक 11.10.2007 को शपथ पत्र गोविन्द कलाल व माधु माली के प्रस्तुत किये गये। जो क्रमशः पी डब्ल्यू 1,2,3, व 4 हैं। इन गवाहान से पेरोकार सरकार द्वारा जिरह की गई। जिरह में वादी ने कथन किया कि उसे पुराने आराजी नम्बर याद नहीं है। पैनल्टी भर रहा हूँ। रसीद घर पर है। नोटिस नहीं आये है। पैनल्टी 2 साल से भर रहा हूँ। अन्य गवाह माधू ने अपने

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बयानों में बताया कि वादीगण के खेत नहीं बता सकता हूँ। जुर्माना दिया हो तो पता नहीं है। अपीलार्थीगण ने मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं उनके बयानो से वादीगण के वाद में अंकित कथनों की पुष्टि नहीं होने से एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज मिलान खसरा से भी अपीलार्थीगण द्वारा चाहे गये आराजी नम्बर साबिक आराजी नम्बर से नहीं बनने के कारण तनकी नम्बर का वादीगण के विरूद्ध निर्णित की गई है। तनकी नम्बर 2 – '' आया 2.74 है0 का नक्शे में तरमीम कर दुरूस्त करने तथा सीमाओं की उद्‌घोषणा कराने के अधिकारी हैं '' इस तनकी को साबित करने का भार भी वादीगण पर ही था। चूंकि वादीगण मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से वादग्रस्त आराजियात आराजी नम्बर 3003 में से 0.33 है0, आराजी नम्बर 3064/3824 रकबा 0. 35 है, आराजी नम्बर 3004/3812 रकबा 0.06 है0, आराजी नम्बर 3057/3814 रकबा 0.30 है0 कुल रकबा 1.04 है को मिलान खसरे से साबित नहीं करा पाये थे । इसलिए वादीगण के विरूद्ध तनकी नम्बर 2 को निर्णित किया गया है।

12. न्यायालय हाजा द्वारा भी तहसीलदार, (भू अभिलेख) फुलिया कलां से मौका रिपोर्ट तलब की गई। जिस पर तहसीलदार फुलिया कला द्वारा रिपोर्ट दिनांक 30.8.2018 को प्रस्तुत की गई। जिसे शामिल पत्रावली किया गया । इस रिपोर्ट के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित नही होता है कि अपीलार्थीगण के पिता द्वारा क्रय सुदा भूमि का नामान्तरकरण कर उसके नम्बर 3049/1339/1 रकबा 11बीघा कायम किये जाकर अपीलार्थीगण के नाम खातेदारी

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.) सत्यमेव जयते

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दर्ज की गई थी। उक्त साबिक आराजी नम्बर 3049/1339/1 के हाल आराजी नम्बर जिसकी खातेदारी अपीलार्थीगण चाहते हैं वे हाल आराजी नम्बर 3003 में से 0.33 है0, आराजी नम्बर 3064/3824 रकबा 0.35 है, आराजी नम्बर 3004/3812 रकबा 0.06 है0, आराजी नम्बर 3057/3814 रकबा 0.30 है0 कुल रकबा 1.04 है0 कुल रकबा 1.04 है0 बने हों यह तथ्य रिपोर्ट के अवलोकन से साबित नही होते हैं। तहसीलदार रिपोर्ट के साथ पटवारी हल्का धनोप की रिपोर्ट दिनांक 17.8.2018 व 18.8.2018 संलग्न प्रस्तुत है। रिपोर्ट दिनांक 17.8.2018 अनुसार अपीलाण्टगण का आराजी नम्बर 3003, 3004/3812, 3005/3813, 3053, 3052, 3051, 3055, 3054, 3050, 3064/3824, 3064, 3049, व 3057, 3814 पर मौतबिरान के बताने के अनुसार प्रार्थी मकराम पिता हाथी का निरन्तर कब्जा है एवं स्वयं ही इस पर निरन्तर काश्त करते आ रहे हैं । जिस पर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। उपरोक्त आराजियात पर मौतबिरान के कहे अनुसार कब्जा होना बताया गया है।

13. पटवारी हल्का द्वारा तैयार रिपोर्ट दिनांक 18.8.2018 से भी यह स्पष्ट नहीं होता है कि हाल आराजी नम्बर नम्बर 3003 रकबा 1.51 है0 में से 0.33 है0, आराजी नम्बर 3064/3824 रकबा 0.35 है0, आराजी नम्बर 3004/3812 रकबा 0.06 है0, आराजी नम्बर 3057/3814 रकबा 0.30 है0, कुल किता 4 रकबा 1.04 है0 साबिक आराजी नम्बर 3049/1339/1 रकबा 11 बीघा से बने हों। पटवारी रिपोर्ट अनुसार साबिक आराजी नम्बर 1339/1 रकबा 49 बीघा 3

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बिस्वा में प्रार्थी की क्रयशुदा 11 बीघा के नम्बर 3049/1339/1 दर्ज निशचित हुआ, परन्तु 3049/1339/1 की मूल साबिक नम्बर में कोई तरमीम नहीं है। अपीलार्थीगण को यह साबित करना था कि साबिक खसरा नम्बर 1339/1 में से 3049/1339/1 की 11 बीघा भूमि के पूर्ण इन्द्राज की त्रुटि किस स्तर पर हुई। इसके लिए साबिक खसरा नम्बर 1339/1 रकबा 49 बीघा 3 बिस्वा के सभी बने हाल नम्बरों का मिलान क्षेत्रफल के साथ–साथ हाल खातेदारी रिकार्ड प्रस्तुत किया जाना था । अपीलार्थीगण को यह भी साबित करना था कि साबिक आराजी नम्बर 1339/1 रकबा 49 बीघा 3 बिस्वा के कुल कितने खसरा नम्बरान बने एवं सम्पूर्ण रकबा 49 बीघा 3 बिस्वा में से वह किस–किस हाल आराजी नम्बर पर काबिज है एवं बाकि शेष रकबा के अन्य हाल आराजी नम्बरान की वर्तमान क्या स्थिति है, उसमें से कितने नम्बर पर खातेदारी अधिकार से कोई काश्तकार काबिज है, कितने हाल खसरा नम्बरान भूमि बिलानाम है एवं कितने खसरा नम्बरान पर अपीलार्थीगण काबिज है परन्तु अपीलार्थीगण ने भी ऐसा कोई राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उसके द्वारा चाहे गई साबिक आराजी नम्बर 3049/1339/1 रकबा 11 बीघा से हाल आराजी नम्बर नम्बर 3003 रकबा 1.51 है0 में से 0.33 है0, आराजी नम्बर 3064/3824 रकबा 0.35 है0, आराजी नम्बर 3004/3812 रकबा 0.06 है0, आराजी नम्बर 3057/3814 रकबा 0.30 है0, कुल किता 4 रकबा 1.04 है साबिक आराजी नम्बर 3049/1339/1 रकबा 11 बीघा से बने हों।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

14. अपीलार्थीगण का कथन है कि हाल आराजी नम्बर 3003 में से 0.33 है0, आराजी नम्बर 3064/3824 रकबा 0.35 है, आराजी नम्बर 3004/3812 रकबा 0.06 है0, आराजी नम्बर 3057/3814 रकबा 0.30 है0 कुल रकबा 1.04 है0 कुल रकबा 1.04 है0 को राजस्व रेकार्ड में भू प्रबन्ध के उपरान्त बिलानाम दर्ज कर दिया गया है जबकि इस भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जाकाश्त लगातार चला आ रहा है एवं उनके द्वारा पैनल्टी भरी जा रही है। इस सबंध में स्वयं वादी मकराम के पी डब्ल्यू 1 के रूप में बयान पंजीबद्ध किये गये हैं। जिसमें उसके द्वारा यह कथन किया गया है कि पेनल्टी 2 सालों से जमा करा रहा हूँ । पहले कभी नोटिस नहीं आये थे। इस प्रकार गवाह पी डब्ल्यू 1 स्वयं जो कि क्रेता हाथी का पुत्र होकर अपीलार्थी/वादी संख्या 1 है । चूंकि अपीलार्थीगण वाद में अंकित कथनों की पुष्टि मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य से नहीं करा पाये हैं। न्यायालय हाजा में भी उनके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे वादग्रस्त आराजियात के अपीलार्थीगण खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के अधिकारी हों। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी के साथ प्रस्तुत दस्तावेज खसरा परिवर्तित निर्धारण संवत 2070 एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अपीलार्थीगण मकराम, रूघनाथ, देवी पुत्र हाथी गुजर को जारी नोटिस की फोटो प्रति जिसमें अपीलार्थीगण का मौजा धनोप की आराजी नम्बर 3296/3522, 3064/3824, 3057/3814, 3003, 3004/3812 पर संवत 2069 एवं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2070 की अवधि यानि 2 वर्ष तक उपरोक्त आराजियात पर अपीलार्थीगण द्वारा किये गये अतिक्रमण की पुष्टि होती है। परन्तु पुराने कब्जे बाबत अपीलार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। पटवारी हल्का द्वारा तैयार रिपोर्ट दिनांक 17.8.2018 अनुसार अपीलाण्टगण का आराजी नम्बर 3003, 3004/3812, 3005/3813, 3053, 3052, 3051, 3055, 3054, 3050, 3064/3824, 3064, 3049, व 3057, 3814 पर मौतबिरान के बताने के अनुसार प्रार्थी मकराम पिता हाथी का निरन्तर कब्जा बताया गया है परन्तु पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के साथ भी पुराने कब्जे का कोई ठोस साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा जो मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया गया है जिससे यह साबित नही होता है कि जिस हाल आराजी नम्बर 3003 में से 0.33 है0, आराजी नम्बर 3064/3824 रकबा 0.35 है, आराजी नम्बर 3004/3812 रकबा 0.06 है0, आराजी नम्बर 3057/3814 रकबा 0.30 है0 कुल रकबा 1. 04 है0 कुल रकबा 1.04 है0 की खातेदारी अपीलार्थीगण चाहते हैं वे उनके द्वारा क्रयशुदा आराजी नम्बर 3049/1339/1 रकबा 11 बीघा से बने हों। अपीलार्थीगण ने पूर्व में वादग्रस्त आरायिजात बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया था जिसे विड्रो किये जाने के साथ ही नया वाद निर्धारित अवधि में पेश करने की स्वीकृति दिये जाने संबंधी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.2004 की फोटो प्रति प्रस्तुत कर तथ्य साबित कराया है कि उसके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत वाद को विड्रो करने के उपरान्त अधिनस्थ न्यायालय के निर्देशानुसार अपीलाधीन नया वाद प्रस्तुत

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

किया है। वादीगण ने पी–14 व धारा 91 के नोटिस निरन्तर प्रस्तुत नही किये है तथा साबिक खसरा नम्बर 3049/1339/1 के मिलान क्षेत्रफल से वर्तमान बिलानाम आराजी नम्बर 3003 रकबा 0.33 है0, 3004/3812 रकबा 0.06 है0, 3064/3824 रकबा 0.35 है0 व 3057/3814 रकबा 0.30 है0 कुल किता 4 रकबा 1.04 है0 मेल नही खाते है। तहसीलदार रिपोर्ट से भी अपीलाण्ट के कथनो की पुष्टि नही होती है। अपीलाण्ट द्वारा साबिक खसरा नम्बर 1339/1 रकबा 49 बीघा 3 बिस्वा की पूर्ण स्थिति स्पष्ट नही की है अतः पूर्ण अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलाण्ट अपना पक्ष साबित करने में असफल रहे है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है उसमे हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

15. अतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एंव अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2013 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब किया जावे।

16. निर्णय आज दिनांक 27.6.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

27/6/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ भीलवाड़ा (राज.)

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/1/2014

उनवान

1. मकराम पिता हाथी गुर्जर निवासी जोरा का खेडा मजरा धनोप तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
2. रघुनाथ पिता हाथी गुर्जर निवासी जोरा का खेडा मजरा धनोप
3. देबी पिता हाथी गुर्जर निवासी जोरा का खेडा मजरा धनोप तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा, हाल तहसीलदार फुलिया कलां, जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के प्रकरण संख्या 24/2005 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2013

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/1/2014** मे **उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित ड्क्रिी जारी की जाती हैं:

यह अपील तारीख 28.6.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री बी एल गुर्जर वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 28.6.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :-

अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एंव अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2013 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्धारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्धारा दिये जाने है।

आज दिनांक 28.6.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह ड्क्रिी जारी की जाती है।

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट	रेस्पोडेण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन	1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील	3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस	4. प्लीडर की फीस